न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 55/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मिश्री खॉ पुत्र फते खॉ 2. लतीफ खॉ पुत्र फते खॉ दोनों जाति मुसलमान निवासी पागियों की ढाणी, फलौदी तहसील व जिला फलौदी राज.		1. राजस्थान राज्य जरिये भू.अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार फलौदी जिला फलौदी 2. अब्दुल रहीम पुत्र श्री नूरदीन जाति मुसलमान निवासी पागियों की ढाणी, फलौदी तहसील व जिला फलौदी राज. 3. अब्दुल मलिक पुत्र श्री नूरदीन 4. सद्दाम हुसैन पुत्र श्री नूरदीन 5. फते खॉ पुत्र रहमान खॉ फौत के कायम मुकाम 5/1. सलीम पुत्र स्व. फते खां 5/2 रसीद पुत्र स्व. फते खां 5/3 इस्लाम पुत्र स्व. फते खां 5/4 श्रीमति खेर खातु बेवा स्व. फते खां 5/5 रहमत पुत्र स्वा. फते खां 5/6 मरवत पुत्री स्व. फते खां 5/7 हबीबो पुत्री स्व. फते खां 5/8 मीमों पुत्री स्व. फते खां 5/9 जमीना पुत्री स्व. फते खां 5/10 बिस्मिला पुत्री स्व. फते खां फते खॉं के पुत्र मिश्री खां व लतीफ खां अपीलांट के तौर पर संयोजित है सभी जाति मुसलमान सिपाही मंगलिया निवासी ग्राम जुणेजों की ढाणी तहसील फलौदी जिला फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी (मुहर) सत्यमेव जयते

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार फलौदी क्रमांक भू.अ./92/1438 दिनांक 10.04.1992 जो बंटवाड़ा एग्रीमेंन्ट के जरिये अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत कर अपीलांट की बिना रजामन्दी के अपीलांट की कब्जा सूद भूमि के विपरित तरमीम करने के विरूद्व</u>

<u>उपस्थित वकील</u> —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स सं. 2 ता 5 की ओर से:— अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत उपस्थित।

जिला कलक्टर
फलौदी

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 5/1 ता 5/10 की ओर से:– अधिवक्ता श्री अमन सैयद।
रेस्पोडेण्टस संख्या 01 की ओर से :– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 28/05/2025

1. यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 225 में तहसीलदार फलौदी आदेश क्रमांक भू.अ./92/1438 दिनांक 10.4.1992 बंटवाडा एग्रीमेन्ट के जरिये अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत कर अपीलांट के बिना रजाबन्दी के अपीलांट की कब्जासुद भूमि के विपरित तरमीम करने पर अपीलांट द्वारा मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा संख्या 703 रकबा 40 बीघा किस्म बा. चा., लगान 3.04 पैसा की आयी हुई थी। जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा अर्थात 20 बीघा भूमि एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 02 का 1/2 हिस्सा अर्थात 20 बीघा स्थित थी। रेस्पोडेन्टस संख्या 02 ने अपने 20 भूमि में से 4 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 05 फते खां को बैचान कर दी थी तथा शेष भूमि में से कुछ हिस्सा अपने भाईयों रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व 04 को बख्सीस कर दी। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 703/3 रकबा 2.5900 हैक्टयर अर्थात 16 बीघा भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 4 के नाम तथा खसरा संख्या 703/10 रकबा 0.6475 हैक्टयर अर्थात 4 बीघा भूमि रेसपोडेन्टस संख्या 5 के नाम तथा खसरा संख्या 703 रकबा 3. 2357 हैक्टयर अर्थात 20 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है। खसरा संख्या 703 रकबा 40 बीघा भूमि का बंटवाड़ा दिनांक 21.02.1992 को रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पिता नूरदीन ने तत्कालीन हल्का पटवारी व ग्राम सेवक लोर्डिया से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 तहसीलदार फलौदी के समक्ष प्रस्तुत कर अपने मनमाफिक ढंग से बंटवाड़ा कर उपरोक्त भूमि की तरमीम करवा ली। अपीलांट संख्या 02 लतीफ पुत्र फते खां जो कि एक बहरा, गुगां व्यक्ति है। दिनांक 21.02.1991 को बंटवाडानामा के समय अपीलांट संख्या 02 व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 अब्दुल रहीम दोनो नाबालिग थे। फर्जी एवं साजसी तरीके से बंटवाडा कर अपीलांट के कब्जा के विपरित जाकर किया गया बंटवाड़ा निरस्त योग्य होने एवं विधि विरूद्ध होने से उक्त बंटवाड़ा को निरस्त करवाने हेतु मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी के द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 5/1 से 5/10 की ओर से अधिवक्ता श्री अमन सैयद ने वकालातनामा पेश किया जो शामिल

जिला कलक्टर
फलौदी

पत्रावली किया गया। तहसीलदार फलौदी से मूल बंटवाड़ा तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज बंटवाडानामा दिनांक 21.02.1992 एवं उक्त बंटवाडानामा के जरिये रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.04.1992 की जानकारी होने पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 02 को जारी आदेश को निरस्त करवाने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्टस संख्या 02 ने अपीलांट को आश्वासन देते रहे कि वे जल्दी ही उक्त बंटवाडानामा एवं बंटवाडानामा में जारी आदेश को सहमति से निरस्त करवा देगे एवं भूमि की तरमीम दुरूस्त करवा देगे। दिनांक 15.10.2024 को अपीलांट अपने उक्त खातेदारी की कब्जा सुदा भूमि खसरा संख्या 703 रकबा 20 बीघा काश्त अवेरने एवं सार संभाल करने के लिये गया तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को धमकी दी और और बताया कि रेस्पोडेन्टस ने बंटवाडानामा के आधार पर कूटरचित तरीके से खसरा संख्या 703 रकबा 20 बीघा भूमि की तरमीम उसके कब्जे से भिन्न अन्यत्र जगह कर दी है। इससे पूर्व उक्त तरमीम एवं आलौच्य आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं होने के कारण अपील के पेश करने में हुई देरी होने के उचित कारण शपथ पत्र संलग्न कर न्यायालय के समक्ष पेश की है। अपील में हुई देरी का कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार फरमाई जावे। तहसीलदार फलौदी द्वारा जारी बंटवाडानामा आदेश दिनांक 21.02.1992 के समय अपीलांट लतीफ खां व रेस्पोडेन्टस संख्या 02 अब्दुल रहीम नाबालिग थे नाबालिग द्वारा की गई कोई भी संविदा शुरू से शुन्य संविदा होती है, नाबालिग अवस्था में न तो कोई विभाजन एग्रीमेंट लिखा जा सकता है और न ही निष्पादित किया जा सकता है। नाबालिग द्वारा किया गया विभाजन बंटवाडानामा विधि अनुरार खारिज योग्य है। तहसीलदार फलौदी के समक्ष प्रस्तुत जोत भूमि के विभाजन का एग्रीमेंट के आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा भूमि की तरमीम अपीलांट के कब्जा काश्त के विपरित जाकर बिना मौके देखे कार्यालय में बैठकर मनगाने तरीके से उक्त कुट रचित बंटवाडा के जरिये भूमि की तरमीम गलत व विधि विरूद्व तरीके से की गयी है। तहसीलदार फलौदी द्वारा जारी बंटवाडानामा आदेश क्रमांक भू.अ./92/1438 दिनांक 10.04.1992 खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 ने अपनी बहस में बताया कि बंटवाडा दिनांक 21.02.1992 को लिखाकर उसकी पालना राजस्व अभिलेख में होने के बाद अपीलांट संख्या 01 मिश्री खां ने अपने बंट में आने वाली भूमि की चौसाला जमाबंदी एवं बंटवाडा की पालना में की गई मौका पर कब्जा काश्त के माफिक तरमीमी नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि हल्का पटवारी से प्राप्त कर दिनांक 22.03.1996 को सहायक अभियन्ता ओ एण्ड एम जोधपुर विधुत निगम वितरण लिमिटेड फलौदी कार्यालय में कृषि नर्सरी श्रेणी के नलकूप के विधुत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ तरमीम नक्शा जमाबन्दी पेश करने पर भी बंटवाडा एवं तरमीम की भलीभांति जानकारी होते हुए परिसीमा प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य बताये है। अपीलांट स्वयं द्वारा खसरा संख्या 703 रकबा 40 बीघा भूमि का बंटवाडा दिनांक 21.02.1992 को लिखाकर दिनांक 05.03.1992 को तहसीलदार भू-अभिलेख फलौदी को पेश कर तस्दीक करवाया और उसकी पालना में की गई तरमीम के माफिक अपीलांट मिश्री खां द्वारा अपनी दक्षिणी दिशा के बंट आई भूमि में नर्सरी

जिला कलक्टर
फलौदी

...52 मा: ...

No. 2 to 4 — Sh. Ravat Singh Adv.
No. 5 — Sh. Amman Syedi Adv.

2. ... मेहट

श्रेणी कृषि नलकूप के लिये विधुत कनेक्शन का प्रार्थना पत्र पेश किया। तरमीम से आगे बढकर दक्षिण दिशा पड़ोसीयो की भूमि पर अतिक्रमण करने पर वाद की ट्रायल को फेस किया एवं फौजदारी मुकदमा फेस किया। बंटवाड़ा पर की गई तरमीम की पैमाईश करवाने के बावजूद बंटवाडा का महज गलत बताकर रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 एवं उसके परिवार के सदस्यो को केवल मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से काल बाधित अपील पेश की है। अपीलांट की अपील काल बाधित होने से खारिज फरमाई जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट प्रार्थी अभिभाषक का अभिकथन है कि अपीलाधीन बंटवाडानाम 21.02.1992 व उसके आधार पर जारी आदेश दिनांक 10.04.1992 की जानकारी अपीलांट को होने पर रेस्पोडेन्टस संख्या 01 को बंटवाडानामा निरस्त किये जाने का निवेदन किया किन्तु वह केवल आश्वासन देते रहे। दिनांक 15. 10.2024 को अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 703 रकबा 20 बीघा की संभाल करने गया तो हल्का पटवारी ने बताया कि भूमि की तरमीम तहसीलदार द्वारा अन्य जगह पर कर दी गई है। उसके पश्चात तहसील कार्यालय से राजस्व रिकार्ड की नकले व बंटवाडानामें की प्रति प्राप्त करने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि उसकी भूमि की तरमीम अन्यत्र जगह पर कर दी गई है। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद की गई। देरी को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद रखी जावे। इसके विपरित रेस्पोडेन्टस संख्या 02 से 04 से प्रार्थना पत्र का जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्टस का तर्क है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट मिश्री खां द्वारा दिनांक 22.03.1996 को सहायक अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के कार्यालय में विधुत कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी व तरमीम शुदा नक्शा भी प्रस्तुत किया है। जिससे प्रकट होता है कि अपीलांट को आदेश की जानकारी उक्त तिथि को थी। रेस्पोडेण्टस द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस दोनो के बंट में आई हुई भूमि क्रमश दक्षिणी दिशा व उत्तरी दिशा में कृषि नलकूप संचालित हो रहे है। तदअनुसार ही तारबंदी व आवासीय ढाणीयां स्थित है। अपीलांट ने राजस्व वाद संख्या 02/2007 देवाराम बनाम मिश्री खां में जवाबदावा प्रस्तुत किया है। उक्त जवाबदेाव में मिश्री खां , लतीफ खां एवं फते खां द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि विवरण प्रस्तुत किया है। जिसके प्रकट होता हैं कि अपीलांट को विवादित तरमीम की जानकारी जवाबदावे प्रस्तुत करने की तिथि को थी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्टस द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि सहायक कलक्टर न्यायालय के आदेश की पालना में उपतहसीलदार फलौदी द्वारा दिनांक 06.06.2007, 08.06.2007 व 09.06.2007 को खसरा संख्या 703 व उसके अन्य खसरान की मौका रिपोर्ट व पैमाइश की गई व रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत की गई। पुनः दिनांक 13.06.2007 को पुनः पैमाइश की जाकर न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। इससे प्रकट होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश, बंटवाड़ानामा व तरमीम की जानकारी बहुत पहले से ही थी, न कि दिनांक 15.10.2024 को जानकारी हुई है। अतः

जिला कलक्टर
फलौदी

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन व बहस में प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया। इससे प्रकट होता है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाधीन आदेश व तरमीम की जानकारी का स्पष्ट व स्थापित आधार प्रकट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.1992 की जानकारी की कोई तिथि अंकित नहीं है। यह भी अंकन नहीं है कि उसके द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 02 में अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने का कब निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मूल बंटवाड़ानामा, दिनांक 10.04. 1992 पर अपीलांट के हस्ताक्षर व लतीफ खां की अंगुष्ठ निशानी दर्ज है। इनकी पहचान हरीसिंह खींची ग्राम सेवक लोर्डिया द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्टस संख्या 02 ता 04 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट मिश्री खां द्वारा कृषि कनेक्शन के लिए जोधपुर विधुत वितरण निगम में दिनांक 21.06.1996 को आवेदन किया है। आवेदन के साथ जमाबंदी व तहसीलदार फलौदी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार सहायक कलक्टर फलौदी द्वारा निर्णित वाद 02/2007 में अपीलांट मिश्री खां व लतीफ खां द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि खसरा संख्या 703 में अपनी खातेदारी भूमि की अवस्थिति प्रदर्शित करते हुए वाद को गलत बताया है और काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हे कि अपीलाधीन आदेश व तरमीम की जानकारी पूर्व में नहीं थी।

7. अपीलांट के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है बंटवाड़ानामा फर्जी व कूटरचित है चूँकि बंटवाड़ानामा की तिथि 10.03.1992 को अपीलांट लतीफ खां व रेस्पोडेण्टस अब्दुल रहीम नाबालिग थे। इसके समर्थन में राजकीय प्राथमिक विधालाय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। नाबालिग द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेन्ट या कान्ट्रेट प्रारम्भतः शून्य होता है। उसे अपास्त किये जाने के लिए कोई समय सीमा विधि में निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा अपील में में कोई अभिकथन नहीं किया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के सावधानीपूर्वक अवलोकन से इस सम्बन्ध में यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधालय प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्र पर न तो जारी करने की तिथी अंकित है और न ही यह स्पष्ट किया है कि अब्दुल रहीम, लतीफ की जन्मतिथि का आधार क्या है। जारी प्रमाण पत्रो में विधालय एस. आर. रजिस्टर क्रमांक एवं विधालय प्रवेश के आवेदन पत्र आदि की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल लतीफ पुत्र फते खां का अंकित है, जबकि अपील में लतीफ खां पुत्र फते खां अंकित है। अब्दुल लतीफ खां पुत्र फते खां एवं लतीफ खां पुत्र फते खां एक ही व्यक्ति है, यह सिद्व नहीं है। विधालय प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण में में अब्दुल लतीफ पुत्र फतेह खां का निवास फतेह खां की ढाणी अंकित किया गया है। जबकि अपील में लतीफ खां पुत्र फते खां निवासी पागियों की ढाणी, फलौदी अंकित है। इसी प्रकार प्रमाण पत्र क्रमांक 341 अब्दुल रहीम पुत्र नूरदीन के सम्बन्ध में जारी किया गया है। जबकि अपील में अब्दुल रहीम पुत्र नूरदीन अंकित है। उक्त प्रमाण पत्र पर भी जारी करने की तिथी व जन्मतिथि का आधार प्रकट नहीं किया गया है। न ही यह

जिला कलक्टर
फलौदी

अंकित किया गया है कि अब्दुल रहीम द्वारा कक्षा 5 कब उतीर्ण की गई । उक्त दोनो प्रमाण पत्र सन्देहजनक प्रतीत होते है जिनकी जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट मिश्री खां द्वारा बंटवाड़ानामा पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने का कोई कथन नहीं किया है। अपील में यह भी अंकित नही है कि विवादित बंटवाड़ानामा कूटरचित कैसे है। जबकि अपीलांट मिश्री खां द्वारा विचाराधीन एवं निर्णित राजस्व वाद में प्रस्तुत जवाब दावे में विवादित भूमि का विवरण प्रस्तुत किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट लतीफ खां व रेस्पोडेण्टस अब्दुल रहीम की जन्मतिथि पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार सही भी मान ली जावे तो भी उनकी वर्तमान आयु लगभग 41 वर्ष होती है। अर्थात वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। उनके द्वारा उक्त बंटवाड़ानामा के सम्बन्ध में कोई चुनौती सक्षम सिविल या राज़स्व न्यायालय में किया जाना प्रकट नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता नें 2023(2) RRT 1115 का उद्वरण पेश किया। प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत उद्वरण से भिन्न है। अतः धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपील भी तदनुसार खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर सत्यमेव जयते फलौदी

28/05/2025

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी

G.P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of ....जिला कलक्टर.............. at ....फलौदी..........................

Kind of the Case .....अपील अन्तर्गत धारा 225 RT Act.......

Number of Case ....551... Year 2024.....

..........................मिश्री खां पठान....... Versus .....राजस्थान राज्य व अन्य ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
23/10/24	अपीलांट ने एक अपील जरिए अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 225 RTACT की पेश की है। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्ट को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जावे। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार डाक रसीद, Tracking Report एवं मूल रेकर्ड हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो। [signature] जिला कलक्टर फलौदी	
27/11/24	पत्रावली पेश हुई [illegible] P.O. [illegible] अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण [illegible] पेशी की इत्तला होकर दिनांक 04/12/24 को पेश हो। Mahesh	Respondents 2,3,4 undertaking [signature] 27/11/2024.
04/12/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार Tracking Report एवं मूल रेकर्ड हेतु दिनांक 11/12/24 को पेश हो। [signature] जिला कलक्टर फलौदी	
11/12/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पंवार व अन्य ने वकालतनामा पेश	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of complia[nce] of the Order
	किया। अधिवक्ता अब्दुल ... ने ... पेश की। जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार Tracking Report एवं ... रेस्पोन्डेन्ट हेतु दिनांक 18/12/24 को पेश हो।	
	जिला कलक्टर फलौदी	
	इत्तला होकर दिनांक ______ को पेश हो।	
18/12/24	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 24/12/24 को पेश हो। Mahesh	
24/12/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अभिभाषक उपस्थित। पत्र Tracking Report पेश करने का न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/12/24 को पेश हो।	
	जिला कलक्टर	
26/12/24	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 30/12/24 को पेश हो। Mahesh	
30/12/24	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 31/12/24 को पेश हो। Mahesh	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
31/12/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता 02 ता 04 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/10 की ओर आमन सैय्यद अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जावे। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड तलब किया जाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 8/1/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलौदी	
08/1/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.घटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 15/1/25 को पेश हो। NOTE:- रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/10 की ओर से आमन सैय्यद ने वकालातनामा पेश किया। Mahesh	
15/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार मूल रिकार्ड आइन्दा दिनांक 22/1/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलौदी	
22/1/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.घटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 05/2/25 को पेश हो। Mahesh	
05/2/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.घटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 12/2/25 को पेश हो। Mahesh	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
11/2/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 ता 4 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया जावे। आर्म नं. 3 के साथ बंटवारा की प्रति, नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेज पेश किये गये। तहसीलदार फलौदी से मूल बंटवारा तलब करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार बंटवारा नामा दिनांक 25/2/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलौदी	
25/2/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित। मूल बंटवारा नामा प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 5/3/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलौदी	
05/03/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 02/04/25 को पेश हो।	
02/04/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 09/04/25 को पेश हो।	
09/04/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.बटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	

G.P. Ju

Jila Collector Phalodi (Raj.)

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief Note of compliance of the Order
16/4/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.घटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 23/4/25 को पेश हो। Mohd	
23/4/25	प्रत्रावली पेश हुई वकुलाय उप./अनु./ P.O. साहब आज दौरे/अवकाश/आक.घटना अन्यकार्य में व्यस्त होने के कारण ता. पेशी की इत्तला होकर दिनांक 28/4/25 को पेश हो। Mohd	
28/4/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/4/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलोदी	
30/4/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता लिखित बहस पेश हेतु पाबंद हो पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/5/25 को पेश हो। जिला कलक्टर फलोदी	
07/5/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता ने	

G.P. Ju

Jila Collector Phalodi (Raj.)

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... **at** ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... **Year** ....

.... **Versus** ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief Note of compliance of the Order
	लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की है। न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर फलौदी	
20/6/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकारान उपस्थित। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर फलौदी	
28/6/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकारान उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय पत्रावली के साथ शामिल हो। पत्रावली मियाद गुजरने होकर [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर फलौदी	